

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2666
दिनांक 04 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी पद्धति

2666. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सभी सार्वजनिक शौचालयों में सेनेटरी पैड वितरण मशीनों की अनिवार्यता पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) वर्ष 204 से मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं के लिए जागरूकता अभियानों और संवेदीकरण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सरकार द्वारा किए गए व्यय की राशि का वर्ष-वार आंकड़ा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें सीमित धन और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों के लिए अपर्याप्त कार्यक्रम क्षमता निर्माण के कारण मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना के तहत अधिकांश किशोरियों को कवर करने में असमर्थ हैं;
- (घ) यदि हां, तो सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
- (ड) क्या सरकार मातृ अवकाश की तर्ज पर कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म अवकाश उपबंधों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/प्रयासों के माध्यम से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पद्धतियों को सुधारने के लिए समुचित उपाय किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किशोरियों को उच्च गुणवत्तापरक सैनेटरी नैपकिन तक पहुंच और उनके उपयोग को बढ़ाने और सेनेटरी नैपकिन को पर्यावरण के अनुकूल उसका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु 2011 से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, टीचरों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों, सहायक नर्स मिडवाइफ (एफएलडब्ल्यू-एएनएम), अधिप्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय (आशा) कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत इसके लिए प्रदान किए जाने वाले बजट में उपयुक्त रूप से अनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मिशन

शक्ति के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के घटकों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता तथा सैनेटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता साफ-सफाई पहलू के बारे में व्यवहार परिवर्तन से संबंधित इसके समग्र प्रयासों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एनएचएम) पर जागरूकता फैलाने के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में राष्ट्रीय दिशा-निर्देश विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग "समग्र शिक्षा" नामक एक एकीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत सैनेटरी पैड विक्रेता मशीनों तथा इन्सिनरेटरव लगान सहित मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित विविध प्रयासों के लिए राज्य विशेष परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरी स्कीम (एसएजी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत एक घटक उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार ला रहा है और उन्हें पुनः औपचारिक रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अंतर्गत आने वाला स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्था में महिलाओं, दक्षता तथा व्यवहार्यता के लिए सैनेटरी नैपकिनों हेतु मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और अन्य सतत विकल्पों के प्रबंधन के नए तरीकों को अनुसंधान और अध्ययन करता है।

इसके अतिरिक्त, 2015-16 से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता स्कीम को राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) मार्ग के माध्यम से "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को प्रतिस्पर्द्धी के माध्यम से पहुंचने वाली कीमतों पर सैनेटरी नैपकिन एकटो की प्राप्ति का निदेश दिया गया है। वर्ष 2021-22 से लगभग 34.92 लाख किशोरियों को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक माह सैनेटरी नैपकिन पैकेट प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने उचित कीमत पर सैनेटरी नैपकिन तथा अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों की पहुंच को सुधारने के लिए भी कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला औषधि विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का कार्यान्वयन करता है जो कि महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के अंतर्गत, देश भर में लगभग 8800 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है जो कि केवल एक रुपये प्रति पैड पर "सुविधा" नामक ओक्सो वायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्कीम के प्रति सुग्राही बनाने तथा समेकित कार्यान्वयन के लिए एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), अन्य भागीदार मंत्रालयों, राज्यों, विकास भागीदारों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किशोरियों, उनके गेट कीपरों, प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों तथा

समुदाय को लक्षित करने वाली संचार सामग्री मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ पद्धतियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसके बारे में कल्पना और भ्रम को दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान है। सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्ता मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन सहित स्वास्थ्य संबंधी मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए उनके क्षेत्र में किशोरियों के साथ मासिक बैठकों का आयोजन करते हैं। आशा द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन पैकेट प्रदान किए जाते हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलों के सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस) की रिपोर्ट में परिलक्षित होते हैं जो यह दर्शाता है कि उनकी मासिक धर्म संबंधी अवधि के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग करते हुए 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रतिशत में एनएफएचएस-4 (2015-16) में 58 प्रतिशत से एनएफएचएस-5 (2019-21) में 78 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, सैनेटरी नैपकिन के उपयोग में भी 42 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
